

सं. 399/25/2017-एवीडी-III

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 19th जनवरी, 2018

विषय : केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद हेतु चयन।

भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने हेतु एक संस्था स्थापित की है जिसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के रूप में जाना जाता है। यह आयोग नई दिल्ली में स्थित है। इस आयोग में एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्य एवं शक्तियां इस अधिनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार हैं।

2. श्री राजीव, जिन्हें उनके कार्यकाल के पूरा होने पर पद को छोड़ना है, के स्थान पर सतर्कता आयुक्त नियुक्त करने का प्रस्ताव है।
3. सतर्कता आयुक्त अपने पद पर अपनी तैनाती की तारीख से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने, जो भी पहले हो, तक इस पद पर रहेंगे/रहेंगी।
4. तथापि, सतर्कता आयुक्त अपने पद को छोड़ने के पश्चात केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि, यदि उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल सतर्कता आयुक्त और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के संयुक्त चार वर्षों के कार्यकाल से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. सतर्कता आयुक्त को देय वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को देय वेतन एवं भत्तों तथा सेवा शर्तों समान होंगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा लिए गए पेंशन/सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों, यदि कोई हो, को समायोजित करने के अध्याधीन होंगी।
6. इच्छुक उम्मीदवार सम्पूर्ण सूचना एवं ब्यौरों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 देखें।
7. **पात्रता एवं अन्य अपेक्षाएं :-**
 - 7.1 सीवीसी अधिनियम, 2003 की धारा 3(3) प्रावधान करती है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एवं सतर्कता आयुक्त निम्नलिखित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे:-

क) जो अखिल भारतीय सेवा या केन्द्र की अन्य किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन सिविल पद पर रह चुके हों या हों और जिन्हें नीति प्रशासन सहित सतर्कता, नीति निर्माण एवं प्रशासन से संबंधित मामलों की जानकारी एवं अनुभव हो; या

ख) जिन्होंने केन्द्रीय अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा स्थापित किसी निगम में या केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनी में पद धारण किया हो या पद धारण किए हुए हों और ऐसे व्यक्ति जिन्हें बीमा एवं बैंकिंग, विधि, सतर्कता एवं अन्वेषणों सहित वित्त में विशेषज्ञता एवं अनुभव प्राप्त हो;

बशर्ते कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एवं सतर्कता आयुक्तों में से अधिकतम दो व्यक्ति उपरोक्त संदर्भित श्रेणी खण्ड (क) या खण्ड (ख) से संबंधित हों।

7.2 उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(3)(क) के अधीन आने वाले व्यक्तियों के मामले में, वरीयतः ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत सरकार के सचिव या केन्द्र सरकार के अधीन उसके समकक्ष पद पर रहे हों या पद धारण कर रहे हों।

7.3 उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(3)(ख) के प्रथम भाग के अधीन आने वाले व्यक्तियों के मामले में ऐसे व्यक्ति ने अनुसूची 'क' के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पद धारण किया हो और उनके बोर्ड में कम से कम 3 वर्ष के लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य किया हो।

7.4 ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिन्हें बीमा एवं बैंकिंग, विधि, सतर्कता एवं अन्वेषण सहित वित्त में विशेषज्ञता और अनुभव हो और जो इस अधिनियम की धारा 3(3)(ख) के द्वितीय भाग के अंतर्गत आते हों, उन्हें वहां प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हो और उन्होंने उस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां की हो बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति जो निजी कम्पनी में नियुक्त हों, ने कम से कम तीन वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक/सीईओ, पूर्णकालिक निदेशक का पद संभाला हो।

7.5 सभी आवेदक उत्कृष्ट योग्यता और बेदाग सत्यनिष्ठा वाले होने चाहिए और उन्हें संगत क्षेत्रों में जानकारी और 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

7.6 आवेदक की आयु दिनांक 1 जनवरी, 2018 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि चयन हेतु विचार किए जाने वाले व्यक्ति को सतर्कता आयुक्त के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्यकाल मिले।

8. सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के मानदंडों को पूरा करने वाले हैं एवं इस पद पर विचार किए जाने के इच्छुक व्यक्ति संलग्न प्रपत्र में अपना आवेदन अवर सचिव (एवीडी-III), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 19 फरवरी 2018 तक भेज सकते हैं।

9. सेवारत व्यक्तियों के लिए अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना आवश्यक है। वे अपने आवेदन की अग्रिम प्रति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्धारित तिथि तक सीधे भेज सकते हैं परन्तु उन आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब अंतिम रूप से वे उचित माध्यम से प्राप्त होंगे।

10. नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।



(देवेश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव (एस. एंड वी. - I)

दूरभाष - 2309 4398

केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवरण भेजने के लिए प्रपत्र

कृपया पासपोर्ट
आकार का
अद्यतन
फोटोग्राफ
चिपकाएं

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. वर्तमान पता
4. संपर्क सूत्र
 - क) दूरभाष संख्या (एसटीडी कोड सहित)
 - ख) मोबाइल संख्या
 - ग) फैंक्स
5. ई- मेल पता
6. शैक्षिक योग्यताएं
7. कृपया श्रेणी दर्शाएं जिसके अंतर्गत आवेदक आवेदन कर रहा है अर्थात: श्रेणी 3 (3) (क) या श्रेणी 3 (3) (ख) का पहला भाग या श्रेणी 3 (3) (ख) का दूसरा _____ भाग
8. संगत क्षेत्र (क्षेत्रों)में अनुभवों का ब्यौरा (समर्थन में दस्तावेज़ संलग्न करें)
9. क्या उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा/अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी (यदि हाँ, तो विवरण दें)
10. कोई पुरस्कार, सम्मान आदि मिला है तो विवरण दें या अन्य कोई संगत जानकारी
11. कृपया अपना उपयुक्तता मूल्यांकन दर्शाएं (300 शब्दों से अधिक नहीं)

दिनांक:

हस्ताक्षर:

स्थान:

नाम:

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद पर विचारार्थ विवरण भेजने संबंधी प्रपत्र तथा पात्रता शर्तों का ब्यौरा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वैबसाइट www.persmin.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। विभाग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि **19 फरवरी, 2018** है।